पुलिस आदेश संख्या 203 /88

प्रक्षेत्रीय महानिरीक्षकों के अधिकार, कर्त्तव्य एवं दायित्व

प्रक्षेत्रीय महानिरीक्षक की पद की गरिमा एवं महत्व को ध्यान में रखकर सभी बिन्दुओं पर गहराई से विचार कर इनके अधिकार ,कर्तव्य एवं दायित्व के सम्बन्ध में गृह (आरक्षी) विभाग के पत्रांक I/एम-3-10-5/83 गृ0 आ0 6353, दिनांक 6-6-83 तथा पत्रांक 422, दिनांक 16.1.84 एवं पुलिस आदेश सं0-180 में जिन अधिकारों एवं कर्त्तव्यों का उल्लेख है तथा अन्य जिन अधिकारों को दिये जाने की आवश्यकता है उनके संबंध में समेकित रूप से एक पुलिस आदेश निर्गत किया जाना आवश्यक समझा गया । तदनुसार प्रक्षेत्रीय महानिरीक्षकों के निम्नांकित अधिकार, कर्त्तव्य एवं दायित्व होंगे :-

1-प्रशासनिक अधिकार:-

क- नियुक्ति का अधिकार:- आरक्षियों की नियुक्ति संबंधी नियमों का पालन कराया जाना प्रक्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षकों का कर्त्तव्य होगा ।

ख- प्रोन्नति का अधिकार:- आरक्षी निरीक्षक एवं समकक्ष पदों तक की सभी प्रोन्नति हेतू मनोनयन भेजने के लिए क्षेत्रीय पर्षदों का गठन प्रक्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षक द्वारा किया जाएगा ।

ग- स्थानान्तरण का अधिकार:- प्रक्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षक अपने क्षेत्र के आरक्षी निरीक्षक तथा उससे नीचे के कार्यपालक बल तथा अनुसचिवीय बल का स्थानान्तरण शासन की नीति के मुताबिक अपने क्षेत्र के अन्दर कर सकेंगे, जिसकी सूचना पुलिस मुख्यालय को दी जायेगी ।

घ- पुरस्कार का अधिकार:- एक बार में 750/- रूपये तक का पुरस्कार मंजूर करने की शक्ति प्रक्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षक को होगी ।

च- सजा देने का अधिकार :- पुलिस मैनुअल रूल-825(बी) में विहित सजा देने के सभी अधिकार प्रक्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षकों को प्राप्त होंगे ।

छ- छुट्टी देने का अधिकार:-

1- प्रक्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षक क्षेत्रीय उप-महानिरीक्षकों को आकस्मिक अवकाश एवं क्षतिपूर्त्ति अवकाश स्वीकृत करने के लिए अधिकृत रहेंगे ।

2- आरक्षी उपाधीक्षक को 21 दिनों का अर्जित अवकाश देने का अधिकार तथा उससे नीचे के अधिकारियों को हरप्रकार की छुट्टी देने का अधिकार प्रक्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षकों को होगा ।

ज- गोपनीय चरित्र अभ्युक्ति अभिलेखन का अधिकार:-

1. क्षेत्रीय महानिरीक्षक अपने क्षेत्र के उप-महानिरीक्षकों, आरक्षी अधीक्षकों, एवं आरक्षी उपाधीक्षकों की गोपनीय चरित्र पुस्तियों में अभ्युक्तियां अंकित करेंगे।

2. आरक्षी निरीक्षक स्तर के अधिकारियों की गोपनीय चरित्र अभ्युक्ति के स्वीकृतकर्त्ता पदाधिकारी (Accepting Authority) प्रक्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षक होंगे । उन्हीं के कार्यालय में आरक्षी निरीक्षक तथा समकक्ष पदाधिकारियों की गोपनीय अभ्युक्तियां रखी जाएंगी तथा प्रतिकूल अभ्युक्तियां वहीं से संभूषित की जायेगी । प्रतिकूल अभ्युक्ति के विरूद्ध अभ्यावेदन/अपील पर भी प्रक्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षक ही निर्णय लेंगे ।

झ- निरीक्षण का अधिकार :- क्षेत्र के सभी थानों/पोस्टों एवं कार्यालयों का निरीक्षण करने का अधिकार प्रक्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षकों को होगा ।

ट- विभिन्न प्रकार के नियतकालीन प्रतिवेदन :- इकाईयों से पुलिस मुख्यालय को भेजे जाने वाले सभी नियतकालीन प्रतिवेदन (Periodical Returns) प्रक्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षकों के पास भेजे जायेंगे जहां उन्हें संकलित कर प्रक्षेत्रीय स्तर पर विवरण (Return) तैयार कर पुलिस मुख्यालय को भेजा जायगा ।

वे [illegible] सभी थानों/पोस्टों एवं कार्यालयों का

क- निरीक्षण का अधिकार :- प्रक्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षकों को होगा ।

निरीक्षण करने का अधिकार प्रक्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षकों को होगा ।

ख- विभिन्न प्रकार के नियतकालीन प्रतिवेदन:- इकाईयों से पुलिस मुख्यालय को

भेजने जाने वाले सभी नियतकालीन प्रतिवेदन [illegible] प्रक्षेत्रीय स्तर पर

प्रक्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षकों के पास भेजे जायेंगे जहाँ उन्हें संकलित कर

विवरण [illegible] तैयार कर पुलिस मुख्यालय को भेजा जायगा ।

ग- पुलिस मुख्यालय के साथ सीधा पत्राचार वर्जित :- सामान्य तौर पर इकाईयों

और आरक्षी [illegible] महानिरीक्षकों के कार्यालय से शासन एवं पुलिस मुख्यालय स्तर पर पत्राचार

प्रक्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षकों के माध्यम से ही होगा, [illegible] आरक्षी [illegible] महानिरीक्षकों

एवं इकाईयों को यह छूट होगी, कि जिन मामलों में त्वरित गति से सूचना देना आवश्यक

[illegible] सीधे पुलिस मुख्यालय से पत्राचार कर सकते हैं ।

घ- सरकार से सीधा पत्राचार वर्जित:- प्रक्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षक और उनके

नीचे के अधिकारी सरकार से सीधी पत्राचार नहीं करेंगे । सरकार से पत्राचार पुलिस

मुख्यालय के माध्यम से ही होगा ।

ङ - परिपत्र जारी करने का अधिकार:- नीतिगत मामलों को छोड़कर प्रक्षेत्रीय

आरक्षी महानिरीक्षक अपने कार्यक्षेत्र के उन सभी विषयों के संबंध में परिपत्र जारी कर सकते

हैं जिस संबंध में पुलिस मुख्यालय से कोई परिपत्र जारी न हुआ है ।

[illegible] यात्रा भत्ता प्रतिहस्ताक्षरित करने का अधिकार:- प्रक्षेत्रीय महानिरीक्षक अपने

[illegible] महानिरीक्षकों के यात्रा भत्ता विपत्र को प्रतिहस्ताक्षरित करेंगे ।

2. [illegible] अधिकार :-

1- प्रक्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षकों को निरीक्षकों या उससे नीचे के अधिकारियों के

विरुद्ध आरोप-पत्र जारी करने के अधिकार होंगे ।

2. अपील का अधिकार:- सी०एस०रूल 85 [illegible] के तहत प्रक्षेत्रीय आरक्षी

महानिरीक्षकों के अधीनस्थ आरक्षी उप-महानिरीक्षकों के आदेश के विरुद्ध अपील प्रक्षेत्रीय

आरक्षी महानिरीक्षकों के समक्ष प्रस्तुत की जायगी ।

3. शिकायतें:-

[illegible] सभी शिकायतों का निराकरण प्रक्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षकों

[illegible] कार्यालय में होगा । महत्वपूर्ण शिकायतें जिनके संबंध में महानिदेशक और सरकार द्वारा

जानकारी चाही जाय उसके संबंध में प्रतिवेदन पुलिस मुख्यालय को भेजा जायगा ।

[illegible] वित्तीय अधिकार:- निम्नांकित वित्तीय अधिकार क्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षकों को

होगा :-

क- पुलिस गाड़ी की मरम्मति के लिए 10,000/- (दस हजार) रुपये मात्र खर्च करने

का अधिकार ।

ख- बिहार सेवा संहिता के नियम-98 के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यय मंजूर करना

बशर्ते कि यह व्यय 1,000/- (एक हजार) रुपये मात्र से अधिक न हो । ~~[illegible]~~ सरकारी

पदाधिकारी की सेवा मुक्ति तथा निलम्बन की अवधि [illegible] से अधिक की न हो ।

...3/-